उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 849/ix-1/2025–651/2011
दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार में मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 26, 38, 65, 95, 107, 111, 138, 176, 211 और 213 एवं 215 (घ) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 212 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशन की शर्तो के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतः अब राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 212 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2025 का प्रारूप समस्त सम्बंधितों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित करते है;

राज्यपाल, यह निर्देश देते है कि इस अधिसूचना से सम्बंधित हितधारी एवं जनसामान्य द्वारा इस अधिसूचना से सम्बंधित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियां इस अधिसूचना के सामाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रेषित किये जा सकेंगे;

राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नही किया जायेगा।

प्रारूप

उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2025 है। (2) यह नियमावली, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 229 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 229 के उपनियम (3) में,– (i) क्रमांक (1) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपबन्ध रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपबंध		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
(1) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन)		(1) सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन)
(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी,		(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी,
(दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा,		(दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा,
(तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी		(तीन)टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो

जो हल्के खाकी रंग की होगी,.	हल्के खाकी रंग की होगी,
(चार) उत्तराखण्ड परिवहन सेवा मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज,	(चार) उत्तराखण्ड परिवहन सेवा मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज तथा बांह पर निर्धारित प्रकार का मोनोग्राम,
(पांच) सिल्वर फिटिगं के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट,	(पांच) सिल्वर फिटिगं के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट,
(छः) कंधो की पटटी पर 2.5 से0मी0 व्यास का सिल्वर प्लेटेड अशोक चक्र,	(छः) कंधो की पटटी पर 2.5 से0मी0 व्यास का सिल्वर प्लेटेड अशोक की लाट एवं एक स्टार,
(सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते,	(सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते,
(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(ii) क्रमांक (1) के पश्चात् क्रमांक संख्या (1क) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

(1क). सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)

(एक)	उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी,
(दो)	खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा,
(तीन)	टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी,
(चार)	उत्तराखण्ड परिवहन सेवा मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज तथा बांह पर निर्धारित प्रकार का मोनोग्राम
(पांच)	सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट,
(छः)	कंधों की पट्टी पर 2.5 से0मी0 व्यास की सिल्वर प्लेटेड अशोक की लाट
(सात)	भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते,
(आठ)	नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(iii) क्रमांक (6) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गए उपबन्ध रख दिए जाएंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उपबन्ध	एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
(6) प्रवर्तन चालक	(6) प्रवर्तन चालक
क– ग्रीष्मकालीन वर्दी (एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी। (दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी, (तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और	क– ग्रीष्मकालीन वर्दी (एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी। (दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,

पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज, (पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी। (छः) काले जूते (सात) काले मोजे (आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी, (नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा। **ख– शीतकालीन वर्दी** (एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज। (दो) काले ऊनी मोजे। (तीन) खाकी जैकेट। **टिप्पणी**–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।	(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज, (पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी (छः) ग्रेड पे 2400 पर दांयी बांह पर वी शेप में एक सफेद पट्टी, (सात) ग्रेड पे 2800 पर वी शेप में तीन सफेद पट्टी, (आठ) ग्रेड पे 1900, 2400 एवं 2800 हेतु काले जूते, काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी। (नौ) ग्रेड पे 4200 पर पांच नोक वाला एक स्टार एवं ग्रेड पे 4600 पर पांच नोक वाले दो स्टार, जो माप में 25 मिमी0 व्यास के होंगे, स्टार हल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कंधे का बैच मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कंधे की पट्टी की तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर, पीली धातु के होंगे। मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ भूरे रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी, भूरे जूते एवं भूरे मोजे होंगे। **ख– शीतकालीन वर्दी** (एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज। (दो) काले एवं भूरे ऊनी मोजे ग्रेड पे के अनुसार। (तीन) खाकी जैकेट। **टिप्पणी**–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

(iv) क्रमांक (6) के पश्चात् क्रमांक संख्या (6क) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

(6क)	परिवहन उपनिरीक्षक **क– ग्रीष्मकालीन वर्दी**
(एक)	उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।
(दो)	नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,

(तीन)	खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,
(चार)	कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,
(पांच)	कंधे पर नीले रंग की पट्टी।
(छः)	भूरे जूते
(सात)	भूरे मोजे
(आठ)	मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ भूरे रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,
(नौ)	नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(दस)	पांच नोक वाला **दो स्टार**, जो माप में 25 मिमी0 व्यास के होंगे स्टार हल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कंधे का बैच मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कंधे की पट्टी की तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर, पीली धातु के होंगे।
	ख– शीतकालीन वर्दी
(एक)	पूरी बांह की अंगोला कमीज।
(दो)	भूरे ऊनी मोजे।
(तीन)	खाकी जैकेट।
टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।	

(v) क्रमांक (7) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गए उपबन्ध रख दिए जाएंगे, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उपबन्ध	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
(7) प्रवर्तन पर्यवेक्षक	(7) परिवहन सहायक निरीक्षक
(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।
(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,	(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,
(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,	(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,
(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,	(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,
(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।	(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।

(छः) भूरे जूते	(छः) भूरे जूते
(सात) भूरे मोजे	(सात) भूरे मोजे
(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ भूरे रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,	(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ भूरे रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,
(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(दस) दायीं बांह पर वी सेप में तीन सफेद पट्टियां।	(दस) पांच नोक वाला **एक स्टार,** जो माप में 25 मिमी0 व्यास के होंगे स्टार हल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कंधे का बैच मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कंधे की पट्टी की तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर, पीली धातु के होंगे।
(ख) शीतकालीन वर्दी	**ख– शीतकालीन वर्दी**
(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज।	(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज़।
(दो) काले ऊनी मोजे।	(दो) भूरे ऊनी मोजे।
(तीन) खाकी जैकेट।	(तीन) खाकी जैकेट।
टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।	**टिप्पणी**–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

(vi) क्रमांक (8) में ''**प्रवर्तन सिपाही**'' शब्दों के स्थान पर ''**परिवहन आरक्षी**'' शब्द रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार सन्त)
सचिव